न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
शस्त्र वाद संख्या–327/2014
ईश्वरचन्द्र चौधरी, पे0–इन्दुशेखर चौधरी, ग्राम–नेहरा, थाना–मनीगाछी, जिला–दरभंगा

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित

9/05/15

आदेश

आवेदक ईश्वर चन्द्र चौधरी, पे0– इन्दुशेखर चौधरी, ग्राम–नेहरा, थाना–मनिगाछी, जिला–दरभंगा के द्वारा एक एन0पी0 वोर रिवाल्वर हेतु आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु दाखिल आवेदन पर वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के द्वारा पत्रांक 3969/गो0 दिनांक 22.06.11 से अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित एवं अनुशंसित कर प्रतिवेदन भेजा गया है। अनुमंडल पदाधिकरी सदर, दरभंगा के पत्रांक–1069 दिनांक 06.06.11 से आवेदक के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें किसी प्रकार की आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नही है। आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक मे आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

आवेदक के द्वारा उनके आपराधिक इतिहास एवं सम्पत्ति का ब्यौरा दिनांक–25.09.14 के शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। साथ ही अपने परिवार में अन्य किसी सदस्य के पास अग्नेयास्त्र की अनुज्ञप्ति नही रहने के संबंध में दिनांक–24.09.2014 को शपथ पत्र दाखिल किया गया है जो अभिलेख पर संधारित है। आवेदक दिनांक–19.03.2015 को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु जॉच प्रतिवेदन काफी पुराना रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक–19.03.15 को पारित आदेश से वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा एवं अनुमंडल पदाधिकरी सदर, दरभंगा से अद्यतन जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गयी।

वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–3744/गो0, दिनांक–22.04.15 के साथ संलग्न ओ0पी0 अध्यक्ष, नेहरा के प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है। ओ0पी0 प्रभारी के द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक ग्राम–नेहरा, थाना–मनीगाछी, जिला–दरभंगा के स्थायी निवासी है। गाँव समाज एवं पुलिस प्रशासन की दृष्टिकोण से इनका चरित्र अच्छा है। थाना अभिलेख में इनके विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज नही है। इनकी सम्पत्ति एवं आत्म सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के पत्रांक–119 दिनांक–24.04.2015 से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होने अपने प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, मनीगाछी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पत्रांक–441 दिनांक–17.04.2015 को संलग्न किया गया है। आवेदक की कुल सम्पत्ति मो0–24,10,000.00 रू0 बतायी गयी है। आवेदक का समाज के कमजोर वर्गो के प्रति इनका व्यवहार अच्छा बताया गया है। आवेदक के जिम्मे कोई भी बकाया ऋण नही बताया गया है।

आवेदक के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि फिलहाल

कुछ दिन पूर्व हमारे पट्टेदार के नेहरा पेट्रोल पम्प पर लूट की घटना घट चुकी है जिसमें तीन व्यक्तियों की जान भी गयी है। उनके द्वारा मौखिक रूप से यह बताया गया कि वे शराब व्यवसाय के अनुज्ञप्तिधारी बिक्रेता रहे हैं। उनके परिवार के अन्य सदस्य जो संवेदक के रूप में कार्य कर रहे है, को वे भी आवश्यक सहयोग प्रदान करते है जिस कारण देर सवेर भ्रमण करने एवं व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण जान माल का भय बना रहता है, जिस कारण शस्त्र अनुज्ञप्ति देने का अनुरोध करते है। उनके द्वारा बताया गया कि वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा एवं अन्य प्रतिवेदनों में उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। तथा अनुमति देने की अनुशंसा की है।

आवेदक को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध प्रतिवेदनों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक को जान माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है।

अतः सम्यक विचारोपरांत अभिलेख पर उपलब्ध प्रतिवेदन के आधार पर इनका आवेदन स्वीकृत किया जाता है, तथा सम्पूर्ण बिहार राज्य के लिए एक एन0पी0बोर रिवाल्वर के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

आवेदक ईश्चर चन्द्र चौधरी, पे0–इन्दुशेश्वर चौधरी को आदेश दिया जाता है कि विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान की मूल प्रति पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर पंजी प्रविष्टि कराने के उपरांत उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेगें।

इसी विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

9/3/15

जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

13/3/15